


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, करना  
प्रकरण सं.:- 68/2018

दिनांक:- 4.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1290

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी करना व भूअ.नि. भूका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम भाणा मगरा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2073-2076 में खाता संख्या 17 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि किशनाराम पुत्र गिरधारीराम के स्थान पर केहनाराम पुत्र गिरधारीराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 04.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1291-1293

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री केहनाराम पुत्र गिरधारीराम निवासी भाणा मगरा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी